राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 254/2022

GCMS No.2022/335

संजय कुमार पुत्र श्री श्योनाथ उम्र 36 वर्ष जाति अहीर निवासी मुकन्दपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

........प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: **दिनांक :–16–12–2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 44 के खसरा नंबर 107 रकबा 0.14 है., ख.नं. 108 रकबा 0.24 है., ख.नं. 279 रकबा 0.03 है., ख.नं. 296 रकबा 0.26 है., ख.नं. 298 रकबा 0.28 है., ख.नं. 301 रकबा 0.56 है., ख.नं. 318 रकबा 0.28 है., ख.नं. 325 रकबा 0.11 है., ख.नं. 333 रकबा 0.74 है., ख.नं. 345 रकबा 0.51 है., ख.नं. 359 रकबा 0.49 है., ख.नं. 360 रकबा 0.70 है., ख.नं. 387 रकबा 0.44 है., ख.नं. 388 रकबा 0.75 है., ख.नं. 398 रकबा 0.74 है., ख.नं. 465/150 रकबा 0.03 है., ख.नं. 79 रकबा 0.07 है., ख.नं. 80 रकवा 0.07 है., ख.नं. 82 रकबा 0.07 है. कुल किता 19 कुल रकबा 6.51 है. का प्रार्थी संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित भूमि के खाता सं. 44 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से ''कालु पुत्र श्योनाथ'' दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम ''संजय कुमार पुत्र श्योनाथ'' है जो उसके अन्य सभी लोक दस्तावेज/कागजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, विद्युत बिल आदि में दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 44 के खसरा नंबर 107 रकबा 0.14 है., ख.नं. 108 रकबा 0.24 है., ख.नं. 279 रकबा 0.03 है., ख.नं. 296 रकबा 0.26 है., ख.नं. 298 रकबा 0.28 है., ख.नं. 301 रकबा 0.56 है., ख.नं. 318 रकबा 0.28 है., ख.नं. 325 रकबा 0.11 है., ख.नं. 333 रकबा 0.74 है., ख.नं. 345 र[illegible] है., ख.नं. 359 रकबा 0.49 है., ख.नं. 360 रकबा 0.70 है., ख.नं. 387 [illegible] ख.नं. 388 रकबा 0.75 है., ख.नं. 398 रकबा 0.74 है., ख.नं. 465/150 [illegible] 0.07 है., ख.नं. 80 रकबा 0.07 है., ख.नं. 82 रकबा 0.07 है. कुल किता 19 कुल रकबा 6.51 है. भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:08:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का नाम "कालु पुत्र श्योनाथ" के स्थान पर "संजय कुमार पुत्र श्योनाथ" दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/1890 दिनांक 23.11.2022 से पटवारी, पटवार मण्डल ठाठवाड़ी की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 खाता सं. 44 ग्राम मुकन्दपुरा, फोटो प्रति आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र पेश किये हैं।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों एवं पटवार हल्का ठाठवाड़ी की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम मुकन्दपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 44 में दर्ज प्रार्थी का नाम **"कालू पुत्र श्योनाथ"** के स्थान पर **"संजय कुमार पुत्र श्योनाथ"** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त खाते की शेष प्रविष्ठियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:08:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner